

पत्रांक 2653/N.O.C- / 1सी-21

दिनांक 08/10/21

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत पारेषण खण्ड, अमरोहा

विषय :- Regarding NOC of Crossing of SH-51 by 220 Kv D/C Meerut (765KV)-Amroha Transmission Line under ETD Amroha.

संदर्भ :- आपका पत्रांक 1138/E.T.D.-Amroha/220KV Meerut-Amroha line Dated 30-09-2021

-----X-----

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा बदायूँ-बिल्सी-बिजनौर मार्ग (राज्य मार्ग-51) के कि०मी० 145 में ग्राम सलेमपुर गोसाई के पास 220 के०वी० की लाईन मार्ग के ऊपर से क्रॉसिंग किये जाने हेतु अनापत्ति उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त के क्रम में बदायूँ-बिल्सी-बिजनौर मार्ग (राज्य मार्ग-51) के कि०मी० 145 में ग्राम सलेमपुर गोसाई के पास 220 के०वी० की लाईन मार्ग के ऊपर से क्रॉसिंग किये जाने हेतु अनापत्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

- 1 - संदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्र के अनुसार मार्ग की लेपित सतह के मध्य से मार्ग के बायीं ओर 81 मी० एवं दायीं ओर 119 मी० की दूरी पर बिजली के खम्भे लगाने का कार्य किया जायेगा।
- 2 - संदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्र के अनुसार मार्ग की लेपित सतह से 21.20 मी० की ऊँचाई पर लाईन क्रॉसिंग का कार्य कराया जायेगा।
- 3 - कार्य के समय यातायात की सुरक्षा हेतु कौशन बोर्ड एवं आवश्यक सूचना पट्ट आपके द्वारा लगाये जायेंगे।
- 4 - कार्य के समय अन्य भूमिगत सेवाओं और सुविधाओं को क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए। यदि किसी प्रकार की क्षति होती है तो क्षति की मरम्मत इत्यादि की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
- 5 - वन विभाग से आवश्यकता होने पर अनुमति अलग से प्राप्त करनी होगी।
- 6 - किसी भी वाद विवाद की स्थिति में समाधान आपको स्वयं करना होगा। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 7 - टी०एण्डपी०, मैटेरियल आदि के द्वारा मार्ग की लेपित सतह क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिये, यदि अधिकारियों के सर्वेक्षण में लेपित सतह क्षतिग्रस्त पाई जाती है तो उक्त को आपको अपने खर्चे पर ठीक कराना होगा।
- 8 - कार्य करते समय/कार्य पूर्ण होने के पश्चात् यदि कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।
- 9 - उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न होने की दशा में अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

En. Rakesh Kumar Gupta
22.10.21

Executive Engineer
Electy. Transmission Division
Amroha (U.P.)

पत्रांक

/1सी-21

दिनांक

- 1 - प्रतिलिपि सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अमरोहा को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 - प्रतिलिपि अवर अभियन्ता (प्रावैधिक) वर्ग को।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
अमरोहा